केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली - 110032

सं.सी-27013/01/2014 -हिन्दी 13 दिनांक: 10.04.2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 80वीं बैठक के कार्यवृत्त।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 80वीं बैठक अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 28.03.2017 को "परिवेश भवन" के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची संलग्न है। अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों को सूचनार्थ, टिप्पणी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे जा रहे हैं।

इस संदर्भ में सभी सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई करने का कष्ट करें।

(ओमदास)
सहायक निदेशक (रा.भा.)

सेवा में,

.....

प्रतिलिपि: सूचनार्थ

1. उप-निदेशक (राजभाषा), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, नई दिल्ली-110003
2. उप-निदेशक (कार्या.), केन्द्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, ए-149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली . 110023
3. महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद,एक्स.वाई. 68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली- 23
4. अध्यक्ष के निजी सचिव
5. सदस्य सचिव के निजी सचिव
6. प्रभारी, आई.टी.प्रभाग - कृपया इसे केन्द्रीय बोर्ड की वेबसाइट में अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(ओमदास)
सहायक निदेशक (रा.भा.)

केन्द्रीय बोर्ड की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.03.2017 को आयोजित 80वीं बैठक के कार्यवृत्त

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 80वीं बैठक दिनांक 28.03.2017 को अपराह्न 03.00 बजे अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड की अध्यक्षता में परिवेश भवन के द्वितीय तल पर स्थित सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। इस बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि, उपनिदेशक (कार्यान्वयन), केन्द्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, ए-149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली और महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय, हिन्दी परिषद, सरोजनी नगर, नई दिल्ली को बैठक में भाग लेने का अनुरोध पत्र भेजा गया, किंतु उनको छोड़कर केवल 21 सदस्य बैठक में उपस्थित हुए। इस बैठक में उपस्थित हुए सदस्यों की सूची अनुबंध के रूप में दी गई है।

सहायक निदेशक (राजभाषा) ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय का हार्दिक अभिनंदन किया और सभी सदस्यों को भारतीय नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देकर बैठक की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी। फलस्वरूप अध्यक्ष महोदय ने बैठक की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति प्रदान की। तत्पश्चात बैठक की कार्यसूची के अनुसार मदवार चर्चा शुरू की गई:

मद सं. 01: पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

सहायक निदेशक (रा.भा.) ने समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों एवं संबंधितों को टिप्पणी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु भेजे गए थे। कार्यवृत्त पर किसी भी सदस्य से अभी तक कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अतः विगत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि मान ली जाए। फलस्वरूप अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों की सहमति से कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी।

मद सं. 02: पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

सहायक निदेशक (रा.भा.) द्वारा समिति को यह अवगत कराया गया कि पिछली बैठक में वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पत्राचार बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। गत तिमाही में हमारा पत्राचार 72 प्रतिशत था, जो शतप्रतिशत के लक्ष्य से पीछे है। पत्राचार बढ़ाने के लिए सभी प्रभाग प्रभारियों से अनुरोध किया गया था कि वे अपना अधिकांश सरकारी काम-काज हिन्दी में ही करें और व्यक्तिशः आदेशों, पत्रों में विनिर्दिष्ट कार्यों को हिन्दी में करना सुनिश्चित करें। इस आशय का एक कार्यालय ज्ञापन सदस्य सचिव महोदय के हस्ताक्षर से जारी करने का अनुरोध किया गया था कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपना अधिकांश सरकारी काम-काज हिन्दी में करें। किंतु यह देखने में आया है कि

इस ओर उपयुक्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी भी काफी मात्रा में पत्र अंग्रेजी में जारी किए जा रहे हैं।

सहायक निदेशक (रा.भा.) द्वारा समिति को यह भी अवगत कराया गया कि विगत बैठकों में हिन्दी के पत्राचार को बढ़ाने के विषय में कई बार चर्चा हो चुकी है। किंतु हम राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की जानकारी प्राप्त की और वार्षिक कार्यक्रम की प्रति मंगवाकर समिति के सभी सदस्यों के सम्मुख पढ़वाई गई तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कदमों के प्रयासों की जानकारी हासिल की। उन्हें अवगत कराया गया कि बोर्ड के विभागों द्वारा राजभाषा विभाग के वर्गीकृत 'क', 'ख', 'ग', क्षेत्रों के आधार पर पत्राचार नहीं किया जा रहा है और 'क' और 'ख' क्षेत्रों को पत्राचार हिन्दी के बजाय अंग्रेजी में किया जा रहा है।

इससे न केवल राजभाषा नियम, 5 का उल्लंघन होता है, बल्कि लक्ष्य भी प्रभावित हो रहा है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों को राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया।

- अनुवर्ती कार्यवाही - सभी प्रभाग प्रभारी

मद सं. 3 : हिन्दी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा

समिति को गत तिमाही की प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराया गया, जिसमें सभी मदों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। सभी मदों के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि रिपोर्ट के लगभग सभी मदों के आंकड़े संतोषजनक हैं। किंतु पत्राचार का प्रतिशत अभी भी राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम है। इस विषय पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गत बैठक में भी वृद्धि करने का सुझाव दिया गया था। गत अवधि के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत 200 आदेश/परिपत्र जारी किए गए, जो द्विभाषी रूप में थे। कार्यालय को हिन्दी में कुल 45 पत्र प्राप्त हुए। इन सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया। 'क' क्षेत्र से अंग्रेजी में 185 पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 174 का उत्तर हिन्दी में दिया गया। इसके अतिरिक्त 'ख' क्षेत्र से 65 पत्र अंग्रेजी में प्राप्त हुए। इनमें से 51 पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया। शेष बचे पत्रों का उत्तर अपेक्षित नहीं था। उक्त अवधि में मुख्यालय से कुल 6062 पत्र भेजे गए, जिनमें से 4500 पत्र हिन्दी में तथा 1562 पत्र अंग्रेजी में थे।

अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि अब तक हमारे पत्राचार का प्रतिशत लगभग 74% है, जो निर्धारित लक्ष्य अर्थात 100% से अभी भी कम है। हम अभी लक्ष्य से पीछे हैं।

इसमें सुधार की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय ने नियमानुसार पत्राचार में बढ़ोत्तरी के प्रयास करने के सभी प्रभाग प्रभारियों को निदेश दिए और इसके साथ-साथ सहायक निदेशक (रा.भा.) को पत्राचार के प्रतिशत में वृद्धि के विषय में श्री आर.एम. भारद्वाज, अपर निदेशक और श्री एन.के. गुप्ता, अपर निदेशक बैठकर विचार-विमर्श करने का निर्देश दिया।

- अनुवर्ती कार्यवाही- सभी प्रभाग प्रभारी एवं हिन्दी अनुभाग

मद सं. 4 : हिन्दी पत्राचार का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने संबंधी सुझाव।

जैसा कि इससे पहले मद में तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान समिति को अवगत कराया गया था कि अभी तक हमारा हिन्दी पत्राचार का लक्ष्य शत प्रतिशत की बजाय केवल 74 प्रतिशत ही हो पाया है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक बैठक में समिति के सदस्य कार्यालयों के काम-काज की समीक्षा की जाती है। इसमें भी लक्ष्य प्राप्त करने को कहा जाता है। गत 30 नवंबर, 2016 को आयोजित नराकास की बैठक में भी इसमें वृद्धि करने को कहा गया था। हमने इस तिमाही में गत तिमाही की तुलना में पत्राचार के मामले में दो प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे हमारा पत्राचार का प्रतिशत अब बढ़कर 74 प्रतिशत हो गया है। पत्राचार में वृद्धि के मामले में जांच बिंदु निर्धारित करने की आवश्यकता है। कार्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट अनुभागों के काम-काज की समीक्षा की जाए। इसके साथ-साथ प्रेषण अनुभाग को भी यह निर्देश दिया जाए कि राजभाषा विभाग द्वारा विभाजित 'क' और 'ख' क्षेत्रों को पत्र केवल हिन्दी में ही जारी किए जाएं। यदि 'क' और 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्र अंग्रेजी में हैं, तो उन्हें विषम परिस्थिति को छोड़कर, जारी न किया जाए।

इस पर अध्यक्ष महोदय ने विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा। फलस्वरूप इस अनुक्रम में एक ज्ञापन सभी प्रभाग प्रभारियों के अनुपालनार्थ तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

- अनुवर्ती कार्यवाही - हिन्दी अनुभाग

मद सं. 5 : मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर चर्चा

समिति के सदस्य संयोजन ने विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति को अवगत कराया कि माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 08.03.2017 को बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय बोर्ड उपस्थित हुए।

यद्यपि, उक्त बैठक के कार्यवृत्त मंत्रालय से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। समिति को अवगत कराया गया कि जैसे ही कार्यवृत्त मंत्रालय से प्राप्त होंगे। उन पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने इस पर सहमति व्यक्त की।

- अनुवर्ती कार्यवाही - हिन्दी अनुभाग

मद सं. 6 : हिन्दी से संबंधित पदों के सृजन पर कार्रवाई।

अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि हिन्दी से संबंधित पदों का मामला मंत्रालय में काफी समय से लंबित है। पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अध्यक्ष महोदय की ओर से एक अर्ध-सरकारी पत्र पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव (रा.भा.) को भेज दिया गया है। किंतु अभी भी इस विषय पर कोई ठोस कार्रवाई मंत्रालय की ओर से होती प्रतीत नहीं हो रही है। इसी दौरान सदस्य सचिव महोदय ने अवगत कराया कि हाल ही में मंत्रालय से इस विषय पर एक पत्र प्राप्त हुआ है। जिसके माध्यम से कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया है। सदस्य सचिव महोदय ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को इस विषय में वक्तव्य देने को कहा। श्री जुगेश कुमार, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने समिति को अवगत कराया कि उक्त पत्र के माध्यम से मंत्रालय ने पहले से मौजूद पदों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने उनकी ओर से एक और अर्ध-सरकारी पत्र तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा।

- अनुवर्ती कार्यवाही - भर्ती अनुभाग एवं हिन्दी अनुभाग

मद सं. 7 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री बी.के. जखमोला, वैज्ञानिक 'ई' ने समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा कि क्षेत्रीय निदेशालयों का राजभाषा के कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण करते समय हिन्दी अनुभाग के अधिकारी के साथ एक वैज्ञानिक/तकनीकी अधिकारी भी जाना चाहिए। ताकि वहां राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन कितना और किस तरह से किया जा रहा है। इस विषय में जानकारी ली जा सकती है।

अंत में अध्यक्ष महोदय के साथ-साथ सभी सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देते हुए बैठक विसर्जित की गई।

****

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, केन्द्रीय बोर्ड की दिनांक 28.03.2017 को आयोजित 80वीं बैठक में उपस्थित सदस्य

क्र.सं.	नाम	हस्ताक्षर
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.	ANAND KUMAR	
20.	MITA SHARMA	
21.	Deepa Chaudhary IPC(V) SSI for IC	
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		